Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **प्रतापगढ़ में कार्यालय उप पंजीयक सहकारी समितियाँ का कनिष्ठ सहायक 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपी पूर्व में भी रिश्वत लेने के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दण्डित हो चुका है**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अप्रेल, मंगलवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज प्रतापगढ़ में कार्यवाही करते हुये भागीरथ गोदारा कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, प्रतापगढ़ को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सहकारी संस्था की नवीन कार्यकारिणी के गठन के पश्चात सर्टिफाईड प्रतिलिपि देने की पत्रावली को क्लीयर करने की एवज में भागीरथ गोदारा कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, प्रतापगढ़ द्वारा 50 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की चित्तौड़गढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाश सान्दू** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के प्रतापगढ़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुये भागीरथ गोदारा पुत्र श्री धन्नाराम निवासी धनकोली, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, प्रतापगढ़ को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कनिष्ठ सहायक पूर्व में वर्ष 2002 में नागौर एसीबी द्वारा **4300 रुपये रिश्वत** लेते हुये गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को **2 वर्ष कारावास की सजा** भी सुनाई जा चुकी है। जिसपर सेवा से बर्खास्त होने के पश्चात आरोपी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनः सेवा में आया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।